हुक्म

8/6/17 पत्रावली आज राजीनामा केम्प ओटि सेक्युरिंग पर पेश हुई। प्रकरण में निर्णय पृथक से किया जाकर शामिल फाईल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

लक्ष्मण
वादी सं. 02

हिरतण
वादी सं. 1

संकरी

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्टः–सैथूरिया
पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–648 / 2013

उनवान

1. श्री लेहरू पिता प्रताप गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
प्रतिस्थापित पक्षकारो के नाम प्रतिस्थापित पक्षकारः–
1/1. शंकरी बेवा स्व0 लेहरू गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
1/2. नारायण पिता स्व0 लेहरू गाडरी नाबालिग ब.वि. माता शंकरी बेवा स्व0 लहरू गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलावाडा

–:वादीः–

बनाम

1. श्री रतन पिता हीरा गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री हीरा पिता नारू गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मण पिता देबू गाडरी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्यामलाल पिता देबू गाडरी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
5. मु0सोनी पत्नी रतन गाडरी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–:प्रतिवादीगणः–

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः–08.06.2017

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की आ0नं0 2023 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा भूमी स्थित होकर वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण 01 से लगायत 05 द्वारा व्यवधान करने से एंव मोके पर बाडे की पत्थर की दिवार को तोंडकर रास्ता निकालने पर आमादा है, जबकि नजरी नक्शा अनुसार सरकारी रास्ता मौजूद है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराने की प्रार्थना की गई है।

वादी का वाद पत्र पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गेये। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित हुए जिनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने मौखिक रूप से बताया कि वादी द्वारा रेकार्ड में दर्ज रास्ते पर कब्जा कर बंद कर दिया है। वादी का वाद खारिज कराने की प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने प्रार्थना की है कि मृत्यु दिनांक 08.02.2015 को हो जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 का दिनांक 09.04.2015 को प्रस्तुत कर वादी लेहरू पिता प्रताप गाडरी मृतक के कायम मुकायान शंकरी बेवा नारायण पुत्र को रेकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की गई है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 का समयावधि में प्रस्तुत करने से स्वीकार किया जाता है शंकरी बेवा स्व0 लेहरू गाडरी एंव नारायण पिता लेहरू गाडरी नाबालिग ब0वि0 माता शंकरी बेवा स्व लेहरू गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा को प्रकरण के उनवान में पक्षकार प्रतिस्थापित किये जाते है।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण के प्रस्तुत वादपत्र एंव दस्तावेजात का भलि भांति अवलोकन किया जाकर गहनता से जांच की गई ग्राम सैथूरिया के आ0नं0 2023 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा भूमी जमाबन्दी सं0 2067 से 2070 में लेहरू पिता प्रताप गाडरी सा0 देह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार के विधिक वारिसान होकर वाद पत्र में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होते है, उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतःएंव

–:आदेशः–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सैथूरिया के आराजी संख्या 2023 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा भूमी के उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वय करे व न किसी अन्य से करावे। वादीगण स्वयं की आराजी से लगते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करे। तहसीलदार भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते पर वादीगण का अतिक्रमण पाया जाने पर हटाया जाए।तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

राजस्व केम्प कोर्टः– सैथूरिया
पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

उनवान

1. श्री लेहरू पिता प्रताप गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा

–ःवादीः–

बनाम

1. श्री रतन पिता हीरा गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री हीरा पिता नारू गाडरी निवासी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मण पिता देबू गाडरी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्यामलाल पिता देबू गाडरी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
5. मु0सोनी पत्नी रतन गाडरी सैथूरिया का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–ःप्रतिवादीगणः–

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 648 / 13
निर्णय दिनांक 08.06.2017

वादी की और से वादी अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी की और से प्रतिवादी सं0 1 व 3 उपस्थित में इस वाद के आज दिनांक 08.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पैश होने पर आदेश दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सैथूरिया के आराजी संख्या 2023 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा भूमी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वय करे व न किसी अन्य से करावे। वादीगण स्वयं की आराजी से लगते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करे। तहसीलदार भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते पर वादीगण का अतिक्रमण पाया जाने पर हटाया जाए।

खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रे)भीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्टः–सैथूरिया